न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 78/2021

1 पन्नेसिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खींवसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शिशपाल सिंह पुत्र करण सिंह।
2 कल्याण सिंह पुत्र जयसिंह।
3 हीरसिंह पुत्र जयसिंह।
4 प्रभूसिंह पुत्र जयसिंह।
5 मोहनी पुत्री जयसिंह।
6 लक्ष्मी पुत्री जयसिंह।
7 बिमला पुत्री जयसिंह।
8 धापु पुत्री जयसिंह।
9 किरण पुत्री जयसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खींवसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी हल्का खींवसर तहसील लक्ष्मणगढद्य जिला सीकर।
12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्व
आदेश व डिक्री दिनांक 12.08.2021 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
दावा संख्या 176/2018 उनवानी शिशपाल सिंह
बनाम पन्नेसिंह आदि।

उपस्थिति :

1. श्री भीमसिंह रूहेला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवंत सिंह भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–5-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 176/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक दावा बाबत बंटवारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ़ में इस आशय का पेश किया कि ग्राम खींवासर तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमियां खसरा नम्बर 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कुल किता 10 कुल रकबा 10.70 हैक्टर भूमियां अवस्थित है जिनमें अपीलांट का हिस्सा 1/4 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 का हिस्सा 1/2 रेकार्ड में दर्ज है तथा दर्ज हिस्से के अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त कर रहे है परन्तु विधिवत बंटवारा नही होने के कारण आपस में बंटवारे को लेकर तनाजा रहता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसलिए कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाने की सहायता चाही गयी। अपीलांट द्वारा जबाब में बाहमी बंटवारा होना स्वीकार किया परन्तु बिना वाद कारण के दावा पेश करने एवं अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 लगायत 9 द्वारा षडयंत्र रचकर उक्त दावा पेश करने के कारण खारजि करने की सहायता चाही गयी दोनों पक्षो की जवाबदेही के बाद मातहत अदालत द्वारा तनकी कायम की जाकर दोनो पक्षो की साक्ष्य लिपिबद्ध किये बिना तहसीलदार लक्षमणगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया तथा आदेश में तहसीलदार को यह स्पष्ट निर्देशित किया गया कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं में नक्शा ट्रेस में रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखकर सभी खसरो में पहूंच मार्ग अंकित कर बंटवारा अनुसार अलग अलग रंगो से हिस्सों को दर्शाते हुए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये। तहसीलदार लक्षमणगढ़ द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 लगा. 9 ने मिलकर जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया उसमें जो नजरी नक्शा बनाया उसमें अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 95 जिसे बंटवारे में 95/2 दर्ज किया उसके लिए रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं की तथा प्रस्तावित रास्ते को खसरा नम्बर 91 जो गैर मुमकिन कुआ है तक ही अंकित किया। इसलिए बंटवारा प्रस्ताव में मातहत अदालत द्वारा दिये गये निर्देशों की तहसीलदार ने पालना नहीं की तथा अपीलांट के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये अपीलांट ने विश्वास करके हस्ताक्षर कर नजरी नक्शे पर कर दिये मातहत अदालत ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव की समीक्षा किये बिना उसी के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जो अपीलांट के खातेदारी की भूमि जिसे बंटवारे में खसरा नम्बर 95/2 मार्क करके दी है के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण मातहत अदालत के फैसले व डिक्री से नाराज होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा खाता विभाजन कर रास्ते का प्रावधान रखने का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। मृतक जयसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रास्ते का प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा होना उभयपक्ष स्वीकार करते है। अपीलांट की मुख्य आपत्ति रास्ते को लेकर है। विभाजन प्रस्ताव को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा रास्ते की मांग की गई है। अपीलांट खसरा नं. 95/3 में से होते हुए खसरा नम्बर 95/2 में आवागमन हेतु रास्ता कायम करने पर सहमत है। इस हेतु वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट शीशपाल सिंह द्वारा आवेदन सहमति एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इस नजरी नक्शें अनुसार रास्ते के संसोधन में वादी रेस्पोडेन्ट को ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट पन्ने सिंह के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के विभाजन प्रस्ताव को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद केवल मात्र खसरा नम्बर 95/2 के रास्ते को लेकर है। यद्यपि विभाजन प्रस्ताव की पुश्त पर अंकित विभाजन प्रस्ताव के नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट पन्ने सिंह को खसरा नं. 92/1 व 95/2 विभाजन में दिए गये है। इन दोनों खसरा नम्बर की सीमा आपस में सटी हुई है एवं खसरा नम्बर 92/1 तक शामलाती रास्ते का प्रावधान रखा गया है तथापि इस संदर्भ में वादी रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने वरवक्त बहस आवेदन एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 95/2 से शामलाती रास्ते खसरा नम्बर 95/4 तक रास्ता दिए जाने पर सहमति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में हम विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है एवं इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है किन्तु वादी रेस्पोडेन्ट की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की अंतिम डिक्री में खसरा नम्बर 95/2 अपीलांट के हिस्से की भूमि की सीमा से 95/4 शामलाती रास्ते की सीमा तक रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ते में जाने वाली भूमि सभी पक्षकारों के रकबे में से बराबर बराबर कम किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंतिम डिक्री यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ध[illegible] सिं[illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर